LABOUR OFFICER

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.) 187
REGISTERED NO. D (D.N.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 1983/अग्रहायण 17, 1905
No. 48] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1983/ AGRAHAYANA 17, 1905

भाग IV
PART IV

भाग I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Delhi Administration other than Notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

राजस्व इकाई

अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 1983

सं० फ० 11(8)/रा० स्था०/81(1).—दिल्ली भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल श्री जी० एस० चतुर्वेदी को दिल्ली प्रदेश में रैवन्यू असिस्टेंट नियुक्त करते हैं।

सं० फ० 11(8)/रा० स्था०/81 (2).—पंजाब भू राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(ब) के अतंर्गत जो कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में लागू है दिल्ली के उप राज्यपाल श्री जी० एस० चतुर्वेदी को दिल्ली प्रदेश में प्रथम ग्रेड का असिस्टेंट कलैक्टर नियुक्ति करते हैं।

सं० फ० 11(8)/रा० स्था०/81 (3).—उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 जो कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में लागू है की धारा 15 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जी० एस० चतुर्वेदी को दिल्ली प्रदेश में प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलैक्टर के अधिकार प्रदान करते हैं।

सं० फ० 11(8)/रा०स्था०/81(4).—दिल्ली भू सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री जी० एस० चतुर्वेदी को असिस्टेंट कलैक्टर प्रथम श्रेणी जो उपरोक्त लिखित अधिनियम के भाग 3 में उपायुक्त के कार्यपालक हेतु अधिकार प्रदान करते हैं।

सं० फ० 11(8)/रा० स्था०/81 (5).—उत्तरी भारत कैनाल अधिनियम, 1873 की धारा 4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में लागू है दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जी० एस० चतुर्वेदी को कथित शासित क्षेत्र के अंतंगत उपरोक्त लिखित अधिनियम के सारे अधिकार तथा कार्य कलैक्टर पर हैं प्रदान करते हैं।

आदेश से,
आर० एस० सेठी,
सचिव. (राजस्व)

REVENUE UNIT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 1983

No. F. 11 (8)/Rev. Estt. /81(i):—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor, Delhi, is pleased to appoint Shri G.S. Chaturvedi to be Revenue Assistant in the Union Territory of Delhi.

No. F. 11(8)/Rev. Estt./81(ii):—In exercise of the powers conferred by section 27(1) (b) of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforce in the Union Territory of Delhi, the Lt. Governor Delhi is pleased to confer upon Shri G.S. Chaturvedi the power of Assistant Collector 1st Grade in the said Territory.

No. F. 11(8)/Rev. Estt./81 (iii):—In exercise of the powers conferred by section 15(1) of the U.P. Land Revenue Act, 1901

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.

5. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

संख्या 2/117/74 सेवा-2.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या 27/59-एच० आई० एम० (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात्:

1. श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में (1) श्रम अधिकारी (2) श्रम अधिकारी व मुख्य निरीक्षक दुकान व संस्थापन तथा (3) श्रम अधिकारी (कल्याण) के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनसूची में नियम बनाते हैं, तथा

2. श्रम विभाग में श्रम अधिकारी तथा श्रम अधिकारी व मुख्य निरीक्षक दुकान व संस्थापन/श्रम अधिकारी (कल्याण) के पद से सम्बन्धित दिनांक 22-12-1976 की अधिसूचना संख्या 2/117/74 सेवा-2 के अनुसार अधिसूचित भर्ती नियमों को रद्द करते हैं।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक
के आदेश से तथा उनके नाम पर
ए० के० आचार्य उप-सचिव (सेवा)

श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में श्रम अधिकारी व मुख्य निरीक्षक दुकान व संस्थापन/श्रम अधिकारी (कल्याण) के पदों लिए भर्ती नियम

1. पदनाम	(1) श्रम अधिकारी—4 (2) श्रम अधिकारी व मुख्य निरीक्षक दुकान तथा संस्थापन—1 (3) श्रम अधिकारी (कल्याण)—1
2. पदों की संख्या	"6" (1983) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण	"ख" वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित
4 वेतनमान	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०
5 चयन पद अथवा गैर चयन पद	चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप: आयु सीमा निर्धारित करते समय मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे (अण्डमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो।
6(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है:	नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षित एवं अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या औद्योगिक सम्पर्क या कार्मिक प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा या इसके समकक्ष। (3) पर्याप्त श्रम बल नियोजित करने वाले किसी संगठन में श्रमिक कल्याण कार्य, औद्योगिक सम्बन्ध या कार्मिक प्रबन्ध में किसी उत्तरदायी पद पर तीन वर्ष का अनुभव। टीप:—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप:—(2) यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित रखे गये रिक्त पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने

The Controller,
Deptt. of Publication.

(18)

104

	वाले इन जातियों के उम्भोदवार पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव सम्बन्धी योग्यताएं आयोग के स्वविवेक पर शिथिलनीय हैं। वाछनीय : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातक या इसके समकक्ष। 2. हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान
क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी:—	नहीं
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—	2 वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	(1) पदोन्नति द्वारा जिसके न पर प्रतिनियुक्ति होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत (2) सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	पदोन्नति :— (1) वह उप मुख्य निरीक्षक (दुकान) जिसकी ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा हो। (2) (क) निरीक्षक अधिकारी (बोनस) (ख) ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन निरीक्षण अधिकारी। (ग) बिक्री संवंधना कर्मचारी (सेवा एवं शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन निरीक्षण अधिकारी। (घ) निरीक्षण अधिकारी (कृषक कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तंत्र) तथा (ङ) निरीक्षण अधिकारी अन्तर्राज्यीय (प्रवासी कामगार अधिनियम प्रवर्तन के लिये तंत्र) जिनकी सम्बन्धित ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो। टीप:—पदोन्नति के लिये पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख से तैयार की जायेगी प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारी:— (क) 1. समरूप पद धारण करने वाले, या 2. 550-900 रुपये या समकक्ष वेतनमान के पदों में तीन वर्ष की सेवा वाले या 3. 425-700 रुपये या समकक्ष वेतनमान के पदों में आठ वर्ष की सेवा वाले, तथा (ख) कालम 7 के नीचे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित व शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित दूसरे गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।)
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति: (1) वित्त आयुक्त दिल्ली प्रशासन दिल्ली—अध्यक्ष (2) सचिव (सेवा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—सदस्य (3) विभागीय सचिव/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष—सदस्य टीप:—स्पष्टीकरण से सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवायी जायेगी। यदि उसे आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की नयी बैठक होगी।
13. वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाता है।	सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिये किसी अधिकारी को चयन तथा इन नियमों के किसी उपबन्धों में से किसी को संशोधित/शिथिलनीय करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication.

नोट—

1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी। परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवारों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगें।

4. भर्ती नियमों के कालम-6 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अन्ध मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसी पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F.2(117)/74-S.II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F-27/59/Him(i), dated the 13th July, 1959, the Administrator of the Union Territory of Delhi, after previous consultation with the Union Public Service Commission, is pleased :

(i) to make rules in the schedule hereto annexed reg. the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of (i) Labour Officer; (ii) Labour Officer-cum-Chief Inspector of Shops and Establishment; and (iii) Labour Officer (Welfare) in the Labour Department, Delhi Administration, Delhi; and

(ii) to cancel recruitment rules for the post of Labour Officer and Labour Officer-cum-Chief Inspector of Shops and Establishment/ Labour Officer (Welfare) in the Labour Department notified vide Notification No. F.2(117)/74-S. II, dated 22-12-1976.

By order and in the name of
the Administrator of the
Union Territory of Delhi

A.K ACHARYA Dy. Secy. (Services)

Recruitment Rules for the posts of Labour Officer and Labour Officer-cum-Chief Inspector of Shops and Establishment/Labour Officer (Welfare) in the Labour Department, Delhi Administration.

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational & other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
(1) Labour Officer—4 (2) Labour Officer-cum-Chief Inspector of Shops & Establishment-1 (3) Labour Officer (Welfare)-1	6* (1983) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' Gazetted.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates	No	Essential: (1) Degree of a recognised University or equivalent. (2) Post-Graduate degree/ diploma in Social-work or Labour Welfare or Industrial Relations or Personnel Management or in any other allied subject of a recognised University/Institution or equivalent. (3) 3 years' experience in a responsible capacity of

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
					in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).		Labour Welfare work, industrial relations or personnel management in any organisation employing substantial labour force. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (1) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (2) Working Knowledge of Hindi.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method or recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	(1) 50% by promotion failing which, by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment (2) 50% by direct recruitment.	Promotion : (1) Dy. Chief Inspector (Shops) with 2 years' regular service in the grade. (2) (a) Inspecting Officer (Bonus) (b) Inspecting Officer under the Contract Labour (Regulations & Abolition) Act, 1970, (c) Inspecting Officer under the Sales Promotion Employees (Condition & Services) Act, 1976,	Group 'B' DPC: (1) Financial Commissioner Delhi Admn. Delhi—Chairman. (2) Secretary (Services) Delhi Admn., Delhi. —Member. (3) Departmental Secy./ Head of Deptt. concerned—Member. Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, how-	Consultation with the UPSC necessary while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on deputation an amending/relaxing any of the provisions of these rules.

Attested

The Controller,
Govt. of Publication.

8	9	10	11	12	13
			(d) Inspecting Officer under the Scheme (minimum Wages Machinery for Agricultural Workers), and (e) Inspecting Officer (Machinery for enforcement of Inter State Migrant Workers Act); with 3 years' regular service in the respective grade. Note : The eligibility list for promotion will be prepared with references to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Transfer on deputation : Officers under the Central/State Govts. and Union Territories: (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years serivce in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent ; or (iii) with 8 years service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	ever, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	

Notes:—

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984

Attested

The Controller,